

## **कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 16.07.2021**

### **शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-**

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 30 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### **अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-**

#### **01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. विजयराज गौतम उर्फ भुरें पुत्र स्व० हरीराम नि० सेहरिया कला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 121/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **02. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. फूलचन्द शाहू पुत्र गौरीलाल नि० परासपट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 111/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **03. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. राजकुमार पुत्र लल्लू नि० पस्का इकनिया माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 163/21, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### **04. थाना को०देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-**

01. गुरु प्रसाद पुत्र गौरी शंकर नि० निबोरिया मो० जमदरा थाना को०देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 09 ली० अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, 600 ग्राम यूरिया, 400ग्राम नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०- 277/21, धारा 272 भादवि० व 60,60(2) आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 16.07.2021**

**अवैध रूप से हरी लकड़ी काटकर ले जाने का आरोपी अभियुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली सहित गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अवैध रूप से लकड़ी का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को०देहात पुलिस ने मुखबिर खास की सूचना पर अवैध रूप से हरे आम की लकड़ी काटकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जा रहे आरोपी अभियुक्त कलीम को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को०देहात में वन संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. कलीम पुत्र मो० सलीम नि० दौलतपुरवा मौजा खिरधा थाना को०नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०- 276/21, धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम व 3/28 ट्रॉन्सिक्ट एक्ट थाना को०देहात जनपद गोण्डा।

**बरामदगी-**

01. ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लदी 10 बोटा हरे आम की लकड़ी।

**गिरफ्तारकर्ता टीम-**

01. उ०नि० कामेश्वर राय मय टीमा।